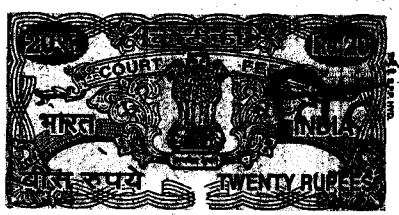

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी नि/3697-III/15

श्री एस.एस. चौहान एड. द्वारा आज दि. 16/11/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जनककुमारी पुत्री श्री राजधर सिंह जाति लोधी निवासी ग्राम सिल्लारपुर, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) -----आवेदिका

बनाम

श्री माधौसिंह जाटव (पटवारी) ग्राम सिल्लारपुर, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी द्वारा–म.प्र.शासन

------अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा–50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के प्र0क0 213/2013–14/अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 2.7.2014 से परिवेदित होकर।

. एस. चौहान
एडवोकेट
ईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 369/तीन/2015 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
16-11-15	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 213/13-14 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 02-07-2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने एंव प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका के अभिभाषक ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये विवरण पर बताया कि आवेदिका के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिसके कारण जानकारी के दिन से एंव तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के दिन से निगरानी समयावधि में है। तहसीलदार के आदेश दि. 2-7-14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आवेदिका को सुनवाई के लिये सूचना पत्र भी जारी नहीं किया है , जिसके कारण अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। 3/ तहसीलदार करैरा के आदेश दि. 2-7-14 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदिका का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर कम्प्यूटराईज्ड खसरे में भूमि	

सर्वे कमांक 330 रकबा 0.40 हैक्टर पर दर्ज था, जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2-7-14 से प्रविष्टि को सॅशोधित कर भूमि शासकीय दर्ज की है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-7-14 के पद 5 का अंश उद्धरण इस प्रकार है :-

" इस कारण जनक कुमारी पुत्री राजधर लोधी इस कारण शासकीय अभिलेख से संतुष्टि होने के कारण उन्हें नहीं सुना गया है। "

अर्थात तहसीलदार व्दारा आवेदिका का नाम शासकीय अभिलेख से काटने के पूर्व न तो सुनवाई हेतु सूचना पत्र भेजा है एंव न ही सुनवाई का अवसर दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 213/13-14 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 02-07-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार करैरा यदि आवश्यक हो तो प्र0क0 89/89-90 अ 19 आदेश दिनांक 27-9-1990 को प्रकरण में खोजकर संलग्न करें तथा आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

सदस्य